(499)

**न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर केम्प, भोपाल (म.प्र.)**

पुनरीक्षण क्र. I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2680

लाखन सिंह, आयु लगभग 36 वर्ष
आत्मज श्री रंधीर सिंह बघेल,
निवासी– ग्राम वापचा, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) ....... आवेदक

विरुद्ध

रामस्वरूप वयस्क आ. श्री धीरज सिंह बघेल
निवासी– ग्राम वापचा, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) ........ अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 16.8.17 को प्रस्तुत

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959**

आवेदक श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय, राजस्व निरीक्षक मण्डल–1, आनंदपुर, लटेरी, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्र. 20/अ–12/2016–17 में की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 31.05.2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :–

**प्रकरण के तथ्य**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन–पत्र राजस्व निरीक्षक महोदय, मण्डल–1, आनंदपुर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा के समक्ष दिनांक 25.05.2016 को ग्राम वापचा, प.ह.नं. 18, तहसील लटेरी स्थित भूमि खसरा क्र. 105 रकबा 2.465 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूमि को उसके मेढ़िया कृषकों द्वारा दबाई जा रही तथा उसको उक्त भूमि की सीमाओं का आभास नहीं है। राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 05.05.2017 को प्रकरण दर्ज किये जाने एवं दिनांक 26.05.2017 की तिथि अंकित कर सीमांकन हेतु मेढ़िया/हितबद्ध कृषकों को सूचना–पत्र जारी किये जाने का लेख आदेश पत्रिका में किया गया, किन्तु आवेदक को सीमांकन हेतु कोई सूचना–पत्र जारी नहीं किया गया जबकि आवेदक मेढ़िया एवं हितबद्ध कृषक है। आवेदक को सूचना–पत्र दिये बगैर आवेदक की अनुपस्थिति में बिना किसी आधार के मनमाने ढंग से सीमांकन संबंधी पंचनामा दिनांक 31.05.2017 को तैयार कर रंधीर सिंह पुत्र श्री राम सिंह एवं लाखन सिंह पुत्र रंधीर सिंह का 2.024 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा बताया गया। सीमांकन की कथित कार्यवाही मनमाने ढंग से सीमांकन नियमों का पालन किये बगैर की गई है। कथित सीमांकन का ना तो कोई प्रतिवेदन तैयार किया गया और ना ही फील्ड बुक तैयार की गई है। सीमांकन स्थाई सीमा चिन्हों के आधार पर नहीं किया गया है। आवेदक खसरा क्र. 100, 103, 116 एवं अन्य खसरों का सहस्वामी है।

XXIX(a)-BR(H)-11

(499)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2680

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. अग्रवाल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |